<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण कः — 514 / 14</u> संस्थापन दिनांकः—13 / 08 / 14 फाईलिंग नं. 233504001872014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला—बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्ध

- 1. कैलाश पिता बिहारी पवार, उम्र 32 वर्ष
- गुड्डू उर्फ संतोष पिता बिहारी पवार, उम्र 27 वर्ष दोनों निवासी ग्राम ऐनस, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

......<u>अभियुक्तगण</u>

<u>-: (निर्णय):-</u>

(आज दिनांक 20.01.2017 को घोषित)

- प्रकरण में अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 294, 323/34, 506 भाग—दो भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 08.08.2014 को समय शाम 07:00 बजे या उसके लगभग फरियादी के घर के सामने ग्राम ऐनस थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी भागरतीबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी भागरतीबाई को स्वेच्छया उपहित कारित करने का आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी भागरतीबाई को लकड़ी व हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.08.2014 को शाम 7 बजे फरियादी के घर के बाजू में रहने वाले अभियुक्तगण कैलाश एवं गुड़डू उसे मां बहन मादरचोद छिनाल की गंदी गंदी गालियां दी और उसे जमीन पर से आने जाने से मना किया। अभियुक्त कैलाश ने लकड़ी से उसे मारपीट किया जिससे उसे दाहिने हाथ की कोहनी के पास चोट आयी। अभियुक्त गुड़डू ने उसे गाली पर हाथ थप्पड़ से मारपीट किया। अभियुक्त कैलाश ने उसे जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 612/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। अभियुक्त कैलाश से एक बांस की लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर

अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष है और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

- 1. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी भागरतीबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी भागरतीबाई को स्वेच्छया उपहित कारित करने का आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी भागरतीबाई को लकड़ी व हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की ?
- 3. क्या अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?
- 4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01 एवं 03 का निराकरण

- 5 भागरती (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त कैलाश ने उसे अश्लील शब्द बोलकर गंदी गंदी गालियां दी थी जो सुनने में उसे बुरी लगी थी। इस संबंध में साक्षी अनिता (अ.सा.—2) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने जमीनी विवाद को लेकर मां बहन की वह अन्य गंदी गंदी गालियां दी थी जो सुनने में बुरी लगी थी। बंशीलाल (अ.सा.—3) ने अपने मुख्य परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्त कैलाश एवं बिहारी ने संजू को गाली गुप्तार की थी। संजय (अ.सा.—4) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसे तथा उसकी मां को गंदी गंदी गालियां दी थी।
- 6 साक्षी भागरती (अ.सा.—1), अनिता (अ.सा.—2), बंशीलाल (अ.सा. —3) एवं संजय (अ.सा.—4) ने अपने—अपने न्यायालयीन कथनों में अभियुक्तगण द्वारा घटना के समय गंदी गंदी गालियां दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतू

साक्षीगण ने स्पष्ट रूप से यह प्रकट नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा किन—िकन शब्दों का उच्चारण किया गया था। अतः अभिलेख पर ऐसे शब्दों के अभाव में उनके प्रभाव का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस संबंध में न्याय दृष्टांत बंशी विरुद्ध रामिकशन 1997 (2) डब्ल्यू.एन. 224 अवलोकनीय है जिसमें प्रतिपादित विधि अनुसार केवल गालियां दी जाना इस अपराध को घटित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। फलतः धारा 294 भा.दं.सं. का अपराध प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

- 7 साक्षी भागरती (अ.सा.—1) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय अभियुक्त कैलाश ने उसे जान से खत्म करने की धमकी दी थी। इस संबंध में साक्षी अनिता (अ.सा.—2) ने व्यक्त किया है कि घटना के समय अभियुक्तगण ने उसकी मां को जान से खत्म करने की धमकी दी थी। इसके अतिरिक्त फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किये जाने के संबंध में अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने उनके न्यायालयीन कथनों में कोई कथन नहीं किये हैं।
- 8 यद्यपि फरियादी भागरती (अ.सा.—1) एवं अनिता (अ.सा.—2) ने घटना के समय अभियुक्तगण द्वारा जान से खत्म करने की धमकी दिये जाने के संबंध में कथन किये हैं परंतु स्वयं फरियादी भागरती (अ.सा.—1) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 04 में बचाव के इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्तगण ने उसे यह नहीं कहा था कि आज के बाद मिले तो जान से खत्म कर देंगे। अतः ऐसी स्थिति में जब स्वयं फरियादी अभियुक्तगण द्वारा धमकी दिये जाने के कथनों पर स्थिर नहीं है। तब धारा—506 भाग—2 भा0दं०सं० का आरोप प्रमाणित नहीं माना जा सकता।

विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण

- 9 भागरती (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त गुड्डू और कैलाश ने उसे लठ्ठ से मारपीट किये थे जिससे उसके दाहिने हाथ, दोनों पैर एवं शरीर के अन्य भाग पर चोट आयी थी। अनिता (अ.सा.—2) एवं संजय (अ.सा.—4) ने उक्त साक्षी के कथनों का समर्थन करते हुए यह बताया है कि अभियुक्तगण ने लठ्ठ से उसकी सास के साथ मारपीट की थी जिससे उसकी सास के हाथ एवं दोनों पैर पर चोट आयी थी।
- 10 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.—5) ने दिनांक 09.08.2014 को सीएचसी आमला में बीएमओ के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को आहत भागरती का परीक्षण किये जाने पर उसकी दाहिनी अग्र भुजा पर 3 गुणा 1 सेमी. आकार की खरोज का निशान होना प्रकट किया है। साक्षी ने आहत को आयी चोट कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचायी जाना प्रकट करते हुए एमएलसी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री—3) को प्रमाणित किया है।
- 11 बिसनसिंह (अ.सा.—6) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 10.08.

2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए अपराध क. 612/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर उक्त दिनांक को नक्शा मौका (प्रदर्श प्री—4) एवं दिनांक 12.08.2014 को अभियुक्त कैलाश से एक बांस की फटी हुई लकड़ी जप्त कर (प्रदर्श प्री—5) का जप्ती पत्रक तथा अभियुक्त कैलाश एवं गुड्डू को गिरफ्तार कर प्रदर्श प्री—6 एवं प्रदर्श पी—7 का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना बताया है। साक्षी ने उक्त दस्तावेजों पर उसके हस्ताक्षरों को भी प्रमाणित किया है।

- 12 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण में स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है तथा शेष साक्षी परिवार के होकर हितबद्ध साक्षी हैं तथा साक्षीगण ने अभियोजन कथा से हटकर न्यायालय में कथन किये हैं। अतः अभियोजन अपने मामले को संदेह से परे स्थापित करने में असफल रहा है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जावे। जबिक अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।
- 13 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्र साक्षी बंशीलाल (अ.सा. —3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना दिनांक को अभियुक्त कैलाश एवं बिहारी लकड़ी लेकर संजू से विवाद कर रहे थे। साक्षी ने आगे यह प्रकट किया है कि उसके समक्ष मारपीट नहीं हुई थी। उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है परंतु यह उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति सामान्यतः किसी दूसरे के मामले में गवाही देने से बचता है। अतः उपर्युक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने से संपूर्ण अभियोजन के मामले को संदेहास्पद नहीं माना जा सकता।
- 14 भागरती (अ.सा.—1) ने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घ टना उसके घर के पास की है। वह घटना के समय घर के पिछवाड़े से वापस आयी थी तभी अभियुक्त गुड्डू एवं कैलाश लठ्ठ लेकर आये और उसके साथ मारपीट किये जिससे उसे हाथ, पैर एवं शरीर के अन्य भाग में चोट आयी थी। अनिता (अ.सा.—2) ने न्यायालयीन परीक्षण में प्रकट किया है कि घटना के समय वह शौच से वापस आ रही थी। तभी अभियुक्तगण जमीनी विवाद को लेकर लठ्ठ से उसकी सास से मारपीट करने लगे जिससे उसकी सास को हाथ व पैर में चोट आयी थी। संजय (अ. सा.—4) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना दिनांक को जमीनी विवाद को लेकर अभियुक्तगण उसके घर के सामने आकर उससे विवाद करने लगे तथा उसे मारने के लिए दौड़े लेकिन उसके काका ने उसे अंदर कर दिया तब अभियुक्तगण ने उसकी मां भागरती बाई के साथ लाठी एवं हाथ, लात से मारपीट किये जिससे उसकी मां के गाल एवं पैर में चोट आयी थी।
- 15 भागरती (अ.सा.—1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 02 में यह बताया है कि उसने जमीन के संबंध में थाने में रिपोर्ट की थी परंतु पुलिस वालों ने कहा था

कि मारपीट की रिपोर्ट लिखाना होगा तथा यह भी बताया है कि अभियुक्तगण ने भी उसके विरूद्ध मारपीट की रिपोर्ट की थी। इसी पैरा में साक्षी ने यह बताया है कि उसकी बहू अनिता शौच के लिए उसके साथ नहीं गयी थी। अनिता (अ.सा.—2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना के समय वह शौच से वापस आ रही थी। प्रतिपरीक्षण में उक्त साक्षी ने बचाव के इस सुझाव को गलत बताया है कि उसके सामने कोई मारपीट लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। संजय (अ.सा.—4) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 02 में यह बताया है कि उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। स्वतः में उक्त साक्षी ने यह कहा है कि उसके काका ने उसे घर के अंदर कर दिया था तथा साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने यह नहीं देखा था किसने किसे मारा था।

16 अभियोजन कथा अनुसार घटना दिनांक 08.08.2014 की शाम 07:00 बजे की है तथा घटना की रिपोर्ट घटना के दूसरे दिन दिनांक 09.08.2014 को दोपहर के लगभग 01:05 बजे की गयी है। थाने से घटना स्थल की दूरी मात्र 22 किलोमीटर है। अभियोजन कथा अनुसार फरियादी के घर पर अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ गाली गलौच की तथा अभियुक्त कैलाश ने लकड़ी से तथा अभियुक्त गुड़डू ने उसके साथ हाथ थप्पड़ से मारपीट किया जिससे उसे चोटें आयी थी। प्रकरण में फरियादी भागरती (अ.सा.—1) एवं अनिता (अ.सा.—2) ने यह प्रकट किया है कि अभियुक्तगण घर के पास में मिले थे और गाली गलौच करने के बाद सीधा लठ से उसके साथ मारपीट की थी जिससे भागरती को हाथ, पैर एवं शरीर के अन्य भाग में चोट आयी थी। प्रकरण में साक्षी संजय (अ.सा.—4) ने स्वयं के साथ अभियुक्तगण द्वारा विवाद करना बताया है तथा उसके काका द्वारा उसे बचा लिये जाने पर उसकी मां भागरती के साथ मारपीट करना बताया है। फरियादी भागरती (अ.सा.—1) ने अभियुक्तगण के द्वारा लठ्ठ से मारपीट करना बताया है परंतु साक्षी के चिकित्सकीय परीक्षण में मात्र उसकी दांहिनी अग्र भुजा पर एक खरोच का निशान पाया गया है।

परियादी भागरती (अ.सा.—1) एवं चक्षुदर्शी साक्षी अनिता (अ.सा.—2) ने अभियोजन कथा से हटकर न्यायालय में अतिश्योक्तिपूर्ण कथन किये हैं। यदि अभियुक्तगण द्वारा एक साथ फरियादी की लठ्ठ से मारपीट की जाती तो उसके शरीर पर मात्र एक खरोच का निशान आये ऐसा अस्वाभाविक प्रतीत होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से लेख करायी गयी है। उभयपक्ष के मध्य पूर्व से जमीनी विवाद होना स्वीकृत है। किसी स्वतंत्र साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। भागरती (अ.सा.—1), अनिता (अ.सा.—2) एवं संजय (अ.सा.—4) के कथनों में विरोधाभास है। अतः ऐसी दशा में जबिक फरियादी के द्वारा रिपोर्ट विलंब से लेख करायी गयी है तथा उसके द्वारा बताये गये स्थान पर चोटें भी नहीं हैं। तब ऐसी स्थिति में फरियादी एवं साक्षीगण के कथनों पर विश्वास कर अभियोजन के मामले को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता। अतः यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्तगण ने फरियादी भागरतीबाई को स्वेच्छया उपहित कारित करने का आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी भागरतीबाई के साथ लकडी एवं हाथ थपड से

मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

- 18 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर लोक स्थान या उसके समीप अश्लील शब्द उच्चारित किए जिससे फरियादी भागरतीबाई और अन्य को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी भागरतीबाई को स्वेच्छया उपहित कारित करने का आशय बनाया और उसकी पूर्ति में फरियादी भागरतीबाई को लकड़ी व हाथ थप्पड़ से मारपीट कर स्वेच्छया उपहित कारित की तथा फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः अभियुक्तगण कैलाश एवं गुड्डू उर्फ संतोष को भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323 / 34, 506 भाग—दो के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 19 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 20 प्रकरण में जप्तशुदा बांस की लकड़ी अपील अवधि पश्चात तोड़कर नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार जप्तशुदा संपत्ति का निराकरण किया जावे।
- 21 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित । मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.) (श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)